

मु० न०:- 87/2022

तारीखरजू:- 26/5/22

उनवान:- मोतीलाल बनाम हरसहाय
दावा बाबत तकारमा, रथाई निषेधाज्ञा

दिनांक फर्द अहकाम

5
6/22

वादी की ओर से श्री गन्दराम बैरवा एडवोकेट ने दावा बाबत तकारमा घोषणा खातेदारी रथाई निषेधाज्ञा आर. टी. एकट के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया, अवलोकन किया गया। दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तहसील क्षेत्र टोडाभीम के जरिये तहसीलदार एवं तहसील क्षेत्र टोडाभीम के बाहर के सम्मन जरिये रजिस्टर्ड डाक द्वारा नोटिस से तलब कर पत्रावली दिनांक 20.06.2022 को पेश हो।

(दुर्गा प्रसाद मीना)

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम जिला करौली

2675-86
26/5/22

20/6/22 वादी वकील उपण प्रतिवादी न० 8, 9 की ओर से श्री रामनरोसी गुप्ता एडव ने वकालतनामा एवं जबाब पेश किया। जो शामिल फावली रहे। शेष प्रतिवादी न० 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11 के नोटिस तामील स्वयं व परिवारजन से होने की रिपोर्ट प्राप्त हुई है। बाबजूड सूचना कोई उपण नहीं। उक्त के खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। शेष प्रतिवादी न० 12 के नोटिस तामील हो चुके हैं। घेरोकार सरकार उपण। एवं प्रतिवादी न० 10 के नोटिस तामील विधिवत नहीं हुई है। पुनः नोटिस पेश करने के लिए वादी वकील को स्ट्रायट डी गई। वास्ते तलबी दिनांक 7.7.22 को पेश हो।

7.7.22 वादी वकील, वकील उमय प्रसाद उपस्थित पीठासीन अधिकारी... से पधारे हैं। पत्रावली गतानुसार दिनांक... 8.8.22 को पेश हो।

8/22 पत्रावली पेश हुई। वार एसोसियेशन की ओर से कार्य स्थगित रखा गया। वास्ते पुनः नोटिस तामील पेश करने पत्रावली दिनांक 19.9.22 को पेश हो।



दिनांक

फर्द अहकाम

२४/५
२५

पत्रावली पेश हुई। वाडी वकील उपस्थित।
वाडी वकील ने उपस्थित होकर दावा बाबत
तक्रार आराजीयात व स्थाई निषेधाना को
नोट पेश करवाने का निवेदन किया।

~~Not a power~~

~~000000~~

पत्रावली का अवलोकन किया गया। वाडी
का दावा तक्रार आराजीयात व स्थाई निषेधा
नोट पेश में स्वारित किया जाता है। पत्रावली
प्रेसल शुभार होकर नम्बर से कम होकर
दारिबल दफ्तर हो



(सुनीता मीना)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर
टोडाभीम, जिला भागलपुर सिटी